

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 974 / 2008 / पाली.

2. अपील संख्या – 975 / 2008 / पाली.

मैसर्स बसंत ट्रेडिंग कम्पनी, सुमेरपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, सुमेरपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 15 / 05 / 2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपरोक्त दोनों अपीलों उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 2 / आरएसटी / सुमेरपुर / 2006-07 एवं 1 / आरएसटी / सुमेरपुर / 2007-08 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 29.02.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, सुमेरपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि क्रमशः 2003-04 एवं 2004-05 के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 29(7) के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक क्रमशः 29.03.2006 व 22.03.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को कर, ब्याज व शास्ति के बिन्दु पर अस्वीकार किया है, किन्तु टर्नओवर टैक्स व ब्याज के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. इन दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान निहित होने से दोनों प्रकरणों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।


3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 26.4.2008 को वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-अ, उदयपुर के द्वारा परिवहन चैकिंग के दौरान उक्त अपीलार्थी के वाहन संख्या आर.जे.22 / जी-0183 की जांच की जाने पर वाहन में सरसों तेल भरा हुआ पाया गया था एवं साथ में माल के सम्बन्ध में कुछ बंद लिफाफे भी पाये गये, साथ ही एक नगद रसीद की डायरी भी प्राप्त हुई जो वाहन की जांच के दौरान फर्म के मुनीम श्री बाबूलाल कुमावत के पास



लगातार.....2

उपलब्ध थी। जांच के दौरान मुनीम बाबूलाल एवं वाहन चालक के बयान लिये गये एवं नगद रसीद की जायरी को सत्यापन हेतु मुनीम द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी को सुपुर्द किया गया। उक्त जायरी की जांच हेतु प्रकरण सम्बन्धित वाणिज्यिक कर अधिकारी, सुमेरपुर को भिजवाया गया, जिनके द्वारा उक्त नगद रसीद संख्या 4601 से 4700 तक कार्बन प्रति में जारीशुदा तथा क्रमांक 4701 से 4800 तक दोहरी प्रति में खाली एक ही बाईडिंग में प्राप्त हुई। इन रसीद बुकों की जांच कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की जाने पर पाया गया कि अधिकतर उन रसीद बुकों से सम्बन्धित बिक्री के बिल जारी किये हुए थे परन्तु कुछ रसीदों से प्राप्त राशि के बिल जारी नहीं होना पाया गया ऐसी स्थिति में वर्ष 2003-04 में रूपये 9,22,400/- की बिक्री बिना बिल जारी किये मानते हुए उस पर कर, ब्याज एवं अधिनियम की धारा 65 के तहत कर की दुगुनी राशि की शास्ति आरोपित की गई। इसी प्रकार वर्ष 2004-05 में कुल रूपये 18,09,289/- पर उचन्ति बिक्री पर 4 प्रतिशत की दर से कर, ब्याज एवं दुगुनी राशि की शास्ति आरोपित की गई। इसके अलावा प्रकरण में यह बिन्दु भी था कि टर्नओवर टैक्स पर मुक्ति हेतु अपीलार्थी द्वारा विकल्प पत्र प्रस्तुत करते हुए राशि जमा करा दी थी परन्तु उसका लाभ नहीं दिया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा रसीद बुकों से अवधारित की गई बिक्री राशि पर आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति को यथावत रखा गया एवं टर्नओवर टैक्स से मुक्ति के विकल्प के प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को पुनः जांच हेतु प्रतिप्रेषित किया गया, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों में दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी।
5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी को उनके मुनीम के साथ प्रतिपरीक्षण का कोई मौका नहीं दिया गया तथा मिथ्या एवं गलत आधारों पर कर के साथ जो शास्ति आरोपित की गयी है वह विधिविरुद्ध है एवं इसी तरह ब्याज भी विधिविरुद्ध बताया।
6. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन किया।
7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।




8. प्रकरण में इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माल का विक्रय करने पर माल के मूल्य की राशि प्राप्त कर नगद रसीदें जारी की गयी थीं एवं वे जारी रसीद बुकें अपीलार्थी की ही थी क्योंकि अपीलार्थी के मुनीम से ही यह रसीद बुकें प्राप्त की गयी थी एवं उसकी जांच कार्यालय में वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष की गयी थी तब भी उन रसीद बुकों के सम्बन्ध में कोई विरोध नहीं किया गया था एवं रसीद बुकों की लगभग पूर्ण प्रविष्टियां बहियात में की गई थी। अपीलीय अधिकारी ने इस सम्बन्ध में अपीलार्थी की ओर से प्रक्रिया सम्बन्धी की गयी आपत्तियों का भी निस्तारण करते हुए यह उचित रूप से अवधारित किया है कि अपीलार्थी की वे नियमित रसीद बुकें थी एवं उनके मुनीम द्वारा ही स्वैच्छा से जांच हेतु जांच अधिकारी को प्रस्तुत की थी एवं वे बुकें अपीलार्थी के सामान्य व्यापार के तहत संधारित की जाने वाली लेखा-पुस्तकों के रूप में ही प्रयुक्त थी। इसके अलावा अपीलीय अधिकारी ने यह भी अवधारित किया है कि प्रस्तुत रसीद बुकें न तो कोई सौदा बही थी न अन्य प्रकार की विवरणी के रूप में लिखी हुई बुकें थी, बल्कि केवल माल के विक्रय पर नगद धनराशि प्राप्त करने के लिये जारी रसीद बुकें थी। ऐसी स्थिति में इन रसीद बुकों के जरिये जो भी राशि एकत्रित की गयी है उसे अपीलार्थी की विक्रय राशि माने जाने में कोई त्रुटि कर निर्धारण अधिकारी ने नहीं की है और इसी तरह अपीलीय अधिकारी द्वारा भी उसकी पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

9. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में रसीद बुकों की प्रत्येक प्रविष्टि का हवाला दिया गया है जिससे यह पुष्टि होती है कि इन रसीद बुकों के जरिये केवल विक्रय राशियों के विरुद्ध ही प्राप्तियां की गयी थी। ऐसी स्थिति में और अधिक विवेचना की आवश्यकता नहीं है बल्कि अपीलीय अधिकारी का पूर्ण विवेचित आदेश पुष्टि योग्य होने से इसकी पुष्टि की जाती है।

10. इसी प्रकार टर्नओवर टैक्स से मुक्ति हेतु प्रस्तुत विकल्प के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में कोई त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है। अतः इस बिन्दु पर भी अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

11. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की दोनों अपीलें अस्वीकार की जाकर, अपीलीय आदेश दिनांक 29.2.2008 की पुष्टि की जाती है।

12. निर्णय सुनाया गया।


(कं. एल. जैन)
सदस्य